POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.12.2024

1. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.12.2024** को **थाना इकोटेक-3** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र सुरेश यादव को सुनपुरा तिराहे से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त विजय यादव थाना इकोटेक-3 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 257/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी पर उच्चाधिकारीगण द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण--

विजय यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी-ग्राम अहमदाबाद कसौरा, थाना बनियाठैर, जिला मुरादाबाद वर्तमान पता गंगा जमुना हिण्डन एन्क्लेव, सिद्धार्थ विहार, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 341/2017 धारा 147/323/325/504/506 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 568/2021 धारा 188/447 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 275/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 257/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना कासना पुलिस द्वारा मात्र 24 घन्टे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्ता (मृतक की पत्नी) व अभियुक्त(पत्नी का साथी) गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 14.12.2024 को वादी द्वारा थाना कासना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके बड़े भाई बनी सिंह उर्फ़ विशाल की पत्नी ममता ने अपने साथी के साथ मिलकर विशाल(मृतक) की हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार थाना कासना पुलिस द्वारा घटनास्थल

का निरीक्षण कराते हुए साक्ष्य एकत्र किये गये एवं तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए हत्यारोपी अभियुक्ता व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.12.2024** को थाना कासना पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्ता ममता पत्नी विशाल(मृतक) को पेरिफेरल पुल के पास से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्ता की निशादेही से अभियुक्त बहादुर पुत्र बिजेन्द्र को जिम्स अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बहादुर की निशादेही पर सिरसा गोल चक्कर पास स्थित नाले से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल (कटार) को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्ता ममता ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी शादी 08 वर्ष पूर्व बनी सिंह उर्फ़ विशाल से हुई थी, जिससे उसके दो बच्चे उम्र क्रमशः 05 वर्ष व 2.5 वर्ष है। बनी सिंह उर्फ़ विशाल अत्यधिक शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था जिससे वह बनी सिंह उर्फ़ विशाल से परेशान हो गयी थी। करीब 01 वर्ष पूर्व रतुका नगला में शादी में आये बहादुर पुत्र बिजेंद्र यादव निवासी ग्राम नूनामई थाना दादो जिला अलीगढ़ से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों ने एक-दुसरे के मोबाइल नम्बर ले लिए तथा दोनों के बीच बाते होने लगी। एक वर्ष पूर्व विशाल उसे लेकर ग्रेटर नोएडा आ गया तब ममता चूहडपुर की एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करने लगी। दिनांक 17/18.11.2024 को ममता का विशाल उर्फ़ बनी सिंह से झगड़ा हुआ था तथा विशाल उर्फ़ बनी सिंह ने इसके साथ मारपीट की थी जिस कारण ममता दिनांक 19.11.24 को ड्यूटी के बाद अलीगढ़ चली गयी थी और अलीगढ़ में बहादुर से मिलकर सारी बात बताई और तय किया कि कुछ करना पडेगा। इसके बाद ममता अपने मायका ग्राम नौरथा, थाना अतरौली, जिला अलीगढ चली गयी थी। दिनांक 25.11.2024 को ममता व बहादुर सेक्टर-37 नोएडा आ गये थे तथा किराए का कमरा लेकर रहने लगे और दिनांक 02.12.2024 को दोनों ने अपने किराये के कमरे में ही जयमाल डालकर शादी कर ली। दिनांक 08.12.2024 को बहादुर अट्टा मार्केट से एक कटार खरीदकर कर लाया और ममता को अतरौली अलीगढ़ छोड़कर वापस आ गया। पूर्व योजना के अनुसार दिनांक 12.12.2024 को ममता ने विशाल उर्फ़ बनी सिंह को फ़ोन किया की मेरी मौसी का लड़का आएगा उसे अपने पास रुका लेना जिसपर दिनांक 13.12.2024 को बहादुर रात्रि के समय ममता की मौसी का लड़का बनकर विशाल उर्फ़ बनी सिंह के कमरे पर गया और विशाल उर्फ़ बनी सिंह ने ज्यादा शराब पी ली तथा नशे में सो गया। रात्रि के समय बहादुर ने अपने साथ लाये कटार से विशाल उर्फ़ बनी सिंह के गर्दन पर वार किये और उसे मारने के थोड़ी देर बाद वहां से चला आया तथा कटार को सिरसा गोल चक्कर के पास नाले में फेंक कर अपने कमरे में चला गया। उसके द्वारा ममता को फोन करके बताया गया कि मैंने विशाल का काम कर दिया है और अब हमारे बीच कोई नही आएगा। बहादुर द्वारा ममता को जिम्स अस्पताल के पास मिलने के लिए बुलाया गया जिसपर पुलिस टीम द्वारा ममता की निशादेही पर बहादुर को जिम्स अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर सिरसा गोल चक्कर पास स्थित नाले से घटना मे प्रयुक्त कटार बरामद की गई।

अभियुक्तों का विवरण—

1. अभियुक्ता श्रीमती ममता पत्नी मृतक बनी सिह उर्फ विशाल निवासी ग्राम सिरसा, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

2. अभियुक्त बहादुर पुत्र बिजेंद्र निवासी ग्राम नूनामई थाना दादो जिला अलीगढ़ उम्र 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 291/2024 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

आलाकत्ल एक कटार